समाहरणालय दरभंगा
(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विभिन्न माननीय स0वि0स0 / स0वि0प0 के द्वारा कोविड–19 के ईलाज हेतु निम्न सामग्रियों के क्रय हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है :–

1. एम्बुलेंस
2. Morturary Van (शव वाहन)
3. ऑक्सीजन फ्लो मीटर
4. ऑक्सीजन सिलिंडर D Type
5. ऑक्सीजन Concentrator

उक्त के संबंध में इच्छुक आपूर्ति / निर्माता कम्पनी / एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 09.06.2021 को 1:00 बजे अप0 तक जिला योजना कार्यालय, दरभंगा में आमंत्रित की जाती है। अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक 09.06.2021 को 4:00 बजे अप0 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, दरभंगा में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत व्यक्ति ही भाग ले सकते है।

तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निर्माता कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।
3. तकनीकी निविदा में ₹20,000.00 (बीस हजार) रूपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से संलग्न करना होगा।
4. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत विक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते है।
5. प्रत्येक सामग्री के लिए अलग–अलग निविदा देनी होगी एवं L-I के आधार पर अलग–अलग निविदादाता का चयन किया जा सकता है।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

6. वित्तीय निविदा में क्रय की जानेवाली सामग्री का नाम, प्रकार एवं मॉडल का स्पेशिफिकेशन एवं दर सभी कर सहित देना होगा।

अन्य शर्ते :–

7. आपूर्ति किये जानेवाले सामग्री के परिवहन का अलग से कोई खर्च नही दिया जायेगा।
8. किसी भी तरह का विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र दरभंगा होगा।
9. तकनीकी निविदा के जॉचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
10. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
11. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नही दिया जायेगा, ससमय आपूर्ति / जाँच / गुणवता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
12. राशि का भुगतान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्राप्त मद की राशि से सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल द्वारा किया जायगा।

(हस्ताक्षर) 2/6/2021

उप विकास आयुक्त,
दरभंगा।

Nivida-L-P-28